

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-148 / 2022 (2022 / 41) प्रार्थना पत्र

अनावान

1. लेहरीदेवी पत्ति मोहनलाल कुमावत नि. गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम



- उंकार पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- ऐजी पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- कमला पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- गोपी पुत्र पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- बाबूलाल पिता मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- रामी पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- लेहरी पत्ति मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- सोहन पिता मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- हरलाल पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भारू पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- कंकु पुत्री प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- केशी पत्ति प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- झमकू पुत्री प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- तिलोक पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- नारायण पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- नगजी विता खेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- हीरी पत्ति खेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- अणछीदेवी पत्ति उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- छीतर पिता उदयराम कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- बालीदेवी पुत्री उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- नगजीराम पिता उदराम कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- जमनादेवी पत्ति उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भैरी पुत्री उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भंवरलाल पिता उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- भोमराज पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- मोहन पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- सुखलाल पिता उदालाल कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- हीरालाल पिता किशना कीर निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. मनोहरलाल सेन -

निर्णय

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 23.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम




गाडरीखड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 243 में अंकित आराजी संख्या 288, 781 / 289 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नवशा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को कारत करने, कारत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहला है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पथरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पथरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी को सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पथरगढी करारये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान करारया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 02.12.2022 को पजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 व 12 लगायत 29 बावजुद सूचाना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 11 के विरुद्ध प्रार्थी अथिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 30 फोरमल पक्षकार है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पथरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पथरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम गाडरीखड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 243 में अंकित आराजी संख्या 288, 781 / 289 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पथरगढी करारये जाने हेतु सम्बन्धित यू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पथरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पथरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशमलाल पक्षकारान के करारयी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत पथरगढी करारवे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को भेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निर्णायक)

उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

सहायक उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-148 / 2022 (2022 / 411) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. तेहरीदेवी पत्ति मोहनलाल कुमावत नि. गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. उंकार पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ऐजी पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कमला पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पुत्र पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबूलाल पिता मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामी पुत्री मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तेहरी पत्ति मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सोहन पिता मियाराम गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हरलाल पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मारु पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. कंकु पुत्री प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. केशी पत्ति प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. झमकु पुत्री प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. तिलोक पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. नारायण पिता प्रताप गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. नंजीनी पिता खेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. हीरी पत्ति खेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. अण्णछीदेवी पत्ति उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. छीतर पिता उदयराम कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. बालीदेवी पुत्री उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. नंजीराम पिता उदराम कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. जमनादेवी पत्ति उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. भैरी पुत्री उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. मंवरलाल पिता उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. मंगमराज पिता उंकार गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27. मोहन पिता पेमा गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28. सुखलाल पिता उदालाल कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29. हीरालाल पिता किशनभा कौर निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)



विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनगान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 23.05.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम गाडरीखेडा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 243 में अंकित आराजी संख्या 288, 781 / 289 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200 /-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 /-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नबन्ना एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(निष्पक्षीय)
उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
रायपुर (भीलवाड़ा)